



(2)

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर श्री विनय गोयल पुत्र नाथू राम गोयल, निवासी मकान नं०-177 राम चन्द्रकान सराफा गली ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जसवावाला ज०मु०, परगना रुड़की, तहसील व जिला हरिद्वार के चक सं०-254 के गाटा नं०-1/15 रकबई 0.087 व 1/17 रकबई 0.125, 1/17 रकबई 0.678 व 1/18 रकबई 0.0050 व 1/26 रकबई 0.0200 व 1/27 रकबई 0.088 हे० कुल 6 किते रकबई 1.183 हे० यानि 11830 वर्ग मीटर भूमि पर कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजनार्थ/आबादी निर्माण करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आबादी निर्माण के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करेंगे। यह आदेश 60 दिन तक प्रभावी समझा जायेगा। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 29/03/23

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी,
हरिद्वार स्थान रुड़की।



अभिमानजी

चक सं० 254 पट्टा अमलदरामद

किमा

01/04/23

V.d.
4/4/23
Acc

प्रार्थना पत्र की संख्या व दिनांक... 007/01.11.23
नकल तैयारी का दिनांक... 03.4.23
नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का दिनांक... 03.4.23
टिकटों का मूल्य... ₹ 20
अनुमानित शुल्क... 000.00.23
वितरण करने का दिनांक... 04/04/23
वितरण करने वाले के हस्ताक्षर...

सत्य प्रतिलिपि

प्रमाणित

05/04/23

पेशी वरनूनगी

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी
हरिद्वार स्थान रुड़की